न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1684–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 31–10–12 पारित तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 33/अ–27/09–10.

रामसिंह पुत्र उगरावसिंह
नि0 ग्राम लाडकुई, तह0 नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर, म0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

1– रामगोपाल
2– रामकिशन पुत्र स्व. उगरावसिंह
नि0 ग्राम गैना, तह. आष्टा जिला सीहोर ---- अनावेदकगण

श्री एन0एस0 ठाकुर, अभिभाषक – आवेदक
अना क 1 व 2 स्वंय उप

आदेश

(आज दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र गध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण कगांक 33/अ–27/09–10 में पारित आदेश दिनांक 31–10–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–2 रामकिशन ने ग्राम मैना स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 8.442 हे0 संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित होने से बटवारे हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 16–12–10 व्दारा पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक रामसिंह व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28–01–12

व्दारा तहसील का बटवारा आदेश निरस्त किया और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सहखातेदारों को सुनवायी का अवसर देते हुए प्रकरण का गुण--दोष के आधार पर निराकरण करें।

3/ अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेशानुसार तहसील न्यायालय ने कार्यवाही प्रारम्भ की। रामसिंह व्दारा कब्जे अनुसार 1/3 के मान से बटवारे की मॉग की तथा रामकिशन व्दारा रामसिंह व्दारा पूर्व में अपना हिस्सा विक्रय करने से वादग्रस्त भूमि पर उसका किसी प्रकार का अंश नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31--10--12 में रामसिंह व्दारा अपने अंश पूर्व में प्राप्त करने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होना निर्धारित किया। तहसीलदार ने खाता कमांक 943 कुल किता 09 कुल रकबा 8.442 हे. में से सर्वे नं0 479/1 रकबा 0.353 हे0, 513,514,516,517, 520/1 रकबा 0.611 हे0, 522/1क रकबा 1.145 हे0 सरजूबाई व्दारा की गयी वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता के नाम दर्ज हो जाने से उक्त भूमि को छोड़कर शेष सर्वे नम्बरों का दर्ज प्रविष्टि अनुसार फर्द बटवारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी से लिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदक के अभिभाषक एवं अनावेदक क0--2 व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा प्रकरण में तहसीलदार को स्वत्व के प्रश्न के विनिश्चय की अधिकारिता नहीं है। तहसीलदार व्दारा अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार बटवारा किया जाना चाहिये था। तहसीलदार के समक्ष कुल किता 09 कुल रकबा 8.442 हे. भूमि संयुक्त स्वामित्व में दर्ज होने से बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसलिये उक्त भूमि का तहसीलदार व्दारा बटवारा करना चाहिये था। तहसीलदार व्दारा तथाकथित वसीयत के आधार पर उक्त भूमि में से सर्वे नं0 479/1 रकबा 0.353 हे0, 513,514,516,517,

520/1 रकबा 0.611 हे0, 522/1क रकबा 1.145 हे0 छोड़े जाने के आदेश देने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक क0–2 का कहना था कि रामसिंह व्दारा अपने हिस्सा पूर्व में प्राप्त कर लिया है और उसका प्रश्नाधीन भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सरजूबाई व्दारा की गयी वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता का नामान्तरण हो चुका है, इसलिये यह भूमि बटवारे में छोड़े जाने के आदेश देने में कोई गलती नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ तहसीलदार के अभिलेख एवं आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि अनावेदक रामकिशन आ. उमरावसिंह व्दारा प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 20.86 एकड़ संयुक्त खाते में दर्ज होने से बटवारे हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने दिनांक 26–04–10 को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये और कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संहिता की धारा 178 में यह प्रावधान है कि –

"178. खाते का विभाजन–(1) यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा.

परन्तु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाय।

(1–ए) यदि कोई सिविल वाद उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर फाइल कर दिया जाय, और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो तहसीलदार, अपनी कार्यवाहियों को सिविल न्यायालय का विनिश्चय होने तक रोक रखेगा। यदि कोई सिविल वाद उक्त कालावधि के भीतर

फाइल न किया जाय, तो वह रोक रखने के आदेश को अभिशून्य कर देगा और खाते की विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियों के अनुसार करेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसीलदार को स्वत्व के प्रश्न के विनिश्चय की अधिकारिता नहीं है और स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर बटवारा कार्यवाही तीन माह के लिये रोकने का प्रावधान है जिससे सिविल वाद का संस्थापन हो सके। सिविल वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया जाता है तब उक्त परन्तुक (1—ए) के अनुसार खाते का विभाजन अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार करने का प्रावधान है। यदि बटवारा प्रकरण लम्बित रहने के दौरान सरजूबाई व्दारा की गयी वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता को कोई स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें सिविल वाद प्रस्तुत कर घोषित कराना चाहिये। तहसीलदार व्दारा वसीयत की गयी भूमि कम कर फर्द बटवारे प्रस्तुत करने के आदेश देने में त्रुटि की गयी है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 31—10—12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण धारा 178 के प्रावधानानुसार विधिवत निराकरण हेतु तहसीलदार को वापिस किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर